

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 13/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 7 मार्च, 2018

सा.का.नि... (अ) --केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 55(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 6/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 को, उन बातों के सिवाए, जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या जिनके करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार